न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 37 / 2024 अपील / उदयपुर (GCMS 2024/54)
पंजीयन दिनांक– 10.01.2024
निर्णय दिनांक– 28.04.2025

1. श्री रामप्रसाद पिता राम सहाय बैरवा, निवासी 3 / 208, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, सेक्टर–14, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री दैवेन्द्र कुमार मीणा पिता मंगलाजी, निवासी बोरी कुआं, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेश मेनारिया – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशनसिंह राठौड़ – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 (एफ) भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101504 निर्णय दिनांक 14.02.2023

निर्णय

दिनांक 28.04.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 (एफ) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101504 निर्णय दिनांक 14.02.2023 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के यहां पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96

दिनांक 05.01.2024 के अनुसरण में हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने से उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2024 को दर्ज किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101504 निर्णय दिनांक 14.02.2023 राजस्व ग्राम सविना खेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 967 से 970 रकबा 0.6 हैक्टेयर का श्री दैवेन्द्र कुमार पिता मंगलाजी मीणा के नाम से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित द्वारा लिखित बहस पूर्व में पेशशुदा तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनसिंह राठौड़ उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 25.04.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अधीनस्थ प्राधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों जिनमें इसी भूमि बाबत पूर्व में कायम पत्रावली एवं पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन ही किया है, बल्कि तथ्यों को विलोपित करते हुए रेस्पोडेंट को लाभांवित करने की गरज से आदेश पारित किया है। न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2013 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट ने स्वर्ण जाति के व्यक्तियों से दिनांक 05.03.2002 को विक्रय इकरार किये है जो, अवैध है एवं उसकी निरंतरता में 21 अन्य स्वर्ण व्यक्तियों के पक्ष में दूसरा विक्रय इकरार दिनांक 23.09.2002 को भी निष्पादित किया है, वह भी अवैधानिक एवं प्रभाव शून्य है यानि की रेस्पोडेंट द्वारा धारा 42–बी का उल्लंघन किया है। पूर्व के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि बाबत 90–बी कार्यवाही आरंभ होने से पहले ही अकृषि प्रयोजनार्थ अन्य संक्रामण हो चुका है, तब पुरी कार्यवाही ही अवैध हो जाती है।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 को रेकार्ड पर लेते तो आलौच्य आदेश किसी भी सुरत में पारित नहीं हो सकता था, परंतु जानबूझकर रेस्पोडेंट ने तथ्यों को छिपाया तथा अधीनस्थ प्राधिकारी ने भी इस आराजी की पूर्व पत्रावलियों को तलब कर देखे बिना एवं अपीलांट द्वारा अपनी आपत्तियों के साथ आदेशों की प्रतियों पेश करने के बावजूद उन्हें अनदेखा किया गया है। रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन के क्रम संख्या 11 में कोई मामला लम्बित नहीं होना दर्शाया है, इसके विपरीत जब अपीलांट ने अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष भूमि के संबंध में अपनी रिट याचिका लम्बित होने के प्रमाण मय आपत्ति प्रस्तुत की तब उनका कर्तव्य था कि याचिका के निस्तारण तक कोई आदेश पारित नही करें। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व संपूर्ण प्लॉन को यदि अधीनस्थ प्राधिकारी देखते तो निश्चित ही उन्हें पूर्व कार्यवाहियों एवं आप न्यायालय के आदेश जो अंतिम व प्रभावी है, उस पर दृष्टिपात करते तो उक्त कार्यवाही किसी भी हालत में नहीं होती। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट स्वयं को रावत दर्शाता है, उसी रूप में हस्ताक्षर करता है, परंतु मात्र अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए मीणा का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट ने धोखाधडी कर स्वयं रावत होते हुए मीणा लगाकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बनकर अनुसूचित जनजाति की भूमि हासिल कर, पूर्व आदेश व कार्यवाही को छिपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है, इस प्रकार उसके पक्ष में पूर्वाधिकारी कूका व चेना द्वारा किया गया अंतरण ही अवैध है, उसके अनुसरण में पारित समस्त आदेश शून्य व प्रभावहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101504 निर्णय दिनांक 14.02.2023 राजस्व ग्राम सविना खेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 967 से 970 रकबा 0.6 हैक्टेयर का श्री दैवेन्द्र कुमार पिता मंगलाजी मीणा के नाम से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान

का आदेश नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी अपील प्रकरण में आदेश 41 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी आवेदन में अपीलांट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में दफा 96 जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर